न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2023 **दायर दिनांकः 21/09/2023**

उनवान

1. बृजमोहन आयु 71 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति मेहर निवासी हानिहेडा हाल निवासी झाडौता तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 29.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू की खाता संख्या 165 की ख0नं0 108 रकबा 1.08 है0 किता 1 रकबा 1.08 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम मोहनलाल पुत्र किशना दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र किशना दर्ज है तथा जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम बृजमोहन पुत्र किशनलाल हैं। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थी के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम मोहनलाल पुत्र किशना लिखवा दिया गया जिससे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मोहनलाल पुत्र किशना दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम बृजमोहन पुत्र किशनलाल है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने मे कई प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested

की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर बृजमोहन पुत्र किशनलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 25.05.2023 को वादी द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर बृजमोहनलाल पुत्र किशनलाल दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/103 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हानिहेडा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 165, आधार कार्ड बृजमोहन जन आधार कार्ड, राशन कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल हानिहेडा उपखण्ड क्षेत्र तहसील अटरू की खाता संख्या 165 की ख0नं0 108 रकबा 1.08 है0 किता 1 रकबा 1.08 है0 में सहखातेदार मोहनलाल के पिता का नाम किशना के स्थान पर किशनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। सहखातेदार मोहनलाल के स्थान पर बृजमोहन किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार क्षेत्र बरलां तहसील अटरू की खाता संख्या 165 की ख0नं0 108 रकबा 1.08 है0 किता 1 रकबा 1.08 हैं० आराजी में सहखातेदार मोहनलाल के पिता का नाम किशना के स्थान पर किशनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested